संख्या-283/2026/आर0एफ0-1659/नौ-9-2026/004-ई-2081482

प्रेषक,

राजेश्वरी प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
सिकन्दरा, जनपद-कानपुर देहात/कछला, जनपद-बदायूँ/सैंथल, शीशगढ़, जनपद-बरेली/जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर/कुरारा, जनपद-हमीरपुर।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पंचायतों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित नगरीय निकायों द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकाय की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि रू0 511.90 लाख (रूपये पांच करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि रू0 499.91 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 249.955 लाख (रूपये दो करोड़ उनचास लाख पंचानबे हजार पांच सौ मात्र) अनुदान संख्या-83, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पंचायत

अनुदान संख्या-83 (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	निकाय/ जनपद का नाम	मद/कार्य	निकायों से प्राप्त डी0 पी0आर0 के अनुसार कार्यों की प्राक्कलित लागत/ प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति	स्तम्भ-(4) के सापेक्ष कार्ययोजना में अनुमोदित धनराशि	स्तम्भ-(5) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा रही 50 प्रतिशत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	नगर पंचायत सिकन्दरा, जनपद-कानपुर देहात	1. नगर पंचायत सिकन्दरा के अंतर्गत 01 नग 16मी0 हाईमास्ट लाईट की आपूर्ति सहित अधिष्ठापन कार्य कम्पलीट।	23.12		
		2. नगर पंचायत सिकन्दरा में 90 वाट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति कम्पलीट। 200 नग।	20.09		
		3. नगर पंचायत सिकन्दरा में तिरंगा रोप लाईट की आपूर्ति। 3300 मी0	8.18		
		योग	**51.39**	**50.00**	**25.00**
2	नगर पंचायत कछला, जनपद-बदायूँ	1. नगर पंचायत कछला में बार्ड नं0-08 बदायूँ कछला मार्ग से मुरावन नगला में सी0सी0 सडक व आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	20.03		
		2. नगर पंचायत कछला में बार्ड नं0-08 में सुरेश के मकान से अशोक के मकान होते हुए जयप्रकाश के मकान तक व बाबू के मकान से मन्दिर तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	29.07		
		3. नगर पंचायत कछला में विभिन्न स्थलों पर Supply & Installation of 16Mtr Highmast At 07Nos का कार्य।	52.22		
		योग	**101.32**	**100.00**	**50.00**
3	नगर पंचायत सेंथल, जनपद-बरेली	1. वार्ड नं0 1 ठाकुरद्वारा जादोंपुर मेन मार्ग अशीष देवल की दुकान से सलीम भाई की दुकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	8.74		
		2. वार्ड नं0 3, 6 खिसाल जेदी के मकान से कल्लू भिंड के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	8.23		
		3. वार्ड नं0 8 नयी वस्ती अमानत हुसैन के मकान से अनवार शाह के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	2.54		
		4. वार्ड नं0 9 साजिद के मकान से मुबीन मौलाना के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	19.79		
		5. वार्ड नं0 4 पुलिस चौकी फहजान के मकान से शब्बीर अहमद के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	15.28		
		6. वार्ड नं0 4 पुलिस चौकी राहत हाजी जी के मकान से मो0 रफी के मकान तक व राहत हाजी के कारखाने से तारिक के मकान तक सी0सी0 रोउ व नाली निर्माण कार्य।	13.66		
		7. वार्ड नं0 4 पुलिस चौकी रईस अहमद के मकान से बंदी के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	6.73		
		8. वार्ड नं0 8 नयी वस्ती मुज्जम्मिल के मकान से मुन्ने के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	4.75		
		9. वार्ड नं0 9 शरीफुल के मकान से कालू के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	5.53		
		10. वार्ड नं0 8 नयी वस्ती बॉबी के मकान से बब्बू के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	14.57		
		11. वार्ड नं0 4 पुलिस चौकी इरफान के मकान से घसीटा के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	4.96		
		योग	**104.78**	**100.00**	**50.00**
4	नगर पंचायत शीशगढ़, जनपद-बरेली	1. निर्माण इ0ला0 रोड से नाली, बहेड़ी रोड ईदगाह से कब्रिस्तान के आखिर तक वार्ड सं0-15 ।	6.06		
		2. निर्माण सी0सी0 रोड व नाली, अनीश मन्सूरी वाली गली नसीर के कवाड़े से छोटे पेन्टर के मकान तक वार्ड सं0-02	21.61		

		3. निर्माण सी0सी0 रोड व नाली, बड़ी मस्जिद से रेहान गुल्ला के मकान तक वार्ड सं0-08/09 ।	8.58		
		4. निर्माण सी0सी0 रोड व नाली, रियाज अहमद के मकान से सावर पिया के ताहिर के मकान तक वार्ड सं0-08/09 ।	17.63		
		योग	**53.88**	**50.00**	**25.00**
5	नगर पंचायत जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर	1. वार्ड नं0 02 में झगड़ू के मकान से डॉ0 उस्मान के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	17.70		
		2. वार्ड नं0 08 में इमामबाड़े से आशू स्टोर तक व नदीम, नफीस, औरगजेब की ब्रांच गलियों में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	24.16		
		3. नेशनल हाईवे से बलसिंह के मकान तक नाले की पटरी पर सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	32.09		
		4. वार्ड नं0 02 में बुद्ध बाजार मे मेन रोड से उम्मेद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.72		
		5. वार्ड नं0 05 में मनोज के मकान से कृष्णा शिशु सदन स्कूल तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	17.95		
		योग	**100.62**	**100.00**	**50.00**
6	नगर पंचायत कुरारा जनपद हमीरपुर	1. नगर पंचायत कुरारा के वार्ड-08 में लालमन पुलिया से भोली रोड वाया गुड़ मण्डी तक व मेन बाजार में 25 नग 10 मी0 हाइट के पोल व 120 वॉट की स्ट्रीट लाइट सहित स्थापना कार्य।	47.55		
		2. नगर पंचायत कुरारा के वार्ड-08 में थाना गेट से कांशीराम कालोनी रोड तक वाया कार्यालय नगर पंचायत 16 नग 10 मी0 हाइट के पोल व 120 वॉट की स्ट्रीट लाइट सहित स्थापना कार्य।	29.63		
		3. नगर पंचायत कुरारा के वार्ड-09 में मेन रोड (कालका माता मन्दिर) से दिलीप विश्वकर्मा के मकान तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य ।	11.45		
		4. नगर पंचायत कुरारा के वार्ड-09 में मीराबाई जूनियर हाईस्कूल से भगत सोनी के मकान तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य ।	5.64		
		5. नगर पंचायत कुरारा के वार्ड-09 में वीरेन्द्र गुप्ता के मकान से नाना विश्वकर्मा के मकान तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य ।	5.64		
		योग	**99.91**	**99.91**	**49.955**
		कुल योग (नगर पंचायत:अनुदान संख्या-83)	**511.90**	**499.91**	**249.955**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

(1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-बी-4-918/दस-2006-8/1965टी0सी0 दिनांक-21.09.2006 की व्यवस्थानुसार 03 वर्ष के मॉरीटोरियम के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि से समायोजन द्वारा वापसी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) संबंधित निकाय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0/आगणन में प्रस्तावित/प्राक्कलित लागत एवं योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही कुल धनराशि के अन्तर की धनराशि निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन की जायेगी।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय का होगा सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।

(6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं एवं मानकों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससयम पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जाएगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समपबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा। विदयुत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/ 9-9-14-943/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689-नौ-8-2015-96/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(14) स्वीकृत कार्यो के लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी।

(15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी

संस्था का होगा प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(17) योजनान्तर्गत वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(18) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष **(31 मार्च, 2027 तक)** में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(19) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(20) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0 सी0एस0टी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाये।

(22) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-457/21, दिनांक 30.06.2021 तथा यथा-संशोधित शासनादेश संख्या-1125/नौ-9-2025/45/2021-ई-1749112, दिनांक-04.06.2025 एवं संख्या-1124/नौ-9-2025/45ज/2021-ई-1749112, दिनांक- 04.06.2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्ययस्था के अनुसार किया जायेगा।

(23) प्रशा0 विभाग द्वारा 'सैटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 249.955 लाख (रूपये दो करोड़ उनचास लाख पंचानबे हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 6215027890403 नगर पंचायतें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-9-93-X-2026-27, दिनांक- 03 सितम्बर, 2026** मे प्राप्त वित विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
RAJESHWARI PRASAD
Date: 05-09-2026 16:22:01

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 203/2026/आर0एफ0-1659 /नौ-9-2026/004-ई-2081482, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
9. कोषाधिकारी, जनपद-कानपुर देहात/बदायूँ/बरेली/मुजफ्फरनगर/हमीरपुर।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
11. पी0एम0यू0 यूनिट/वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-05/09/2026

प्रेषण संख्या:- 283
आवंटन आदेश संख्या:- 001-283-2026-RF-1659-9-9-2026-004-E-2081482
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
03 - नगर पंचायतें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	मुज़फ्फर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 12490000	5000000 12490000
2	बरेली-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7500000 12500000	7500000 12500000
3	बदायूं-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 8750000	5000000 8750000
4	हमीरपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4995500 14918500	4995500 14918500
5	कानपुर देहात-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	24995500 51158500	24995500 51158500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ उनचास लाख पंचानवे हजार पाँच सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ ग्यारह लाख अट्ठावन हजार पाँच सौ

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव